

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 82 / प्र०अ०(त०स०-२) / जौन-२ / 2015-16 दिनांक १४/०२/२०१६

३०

अनुमति-पत्र

यह अनुमति ३०५० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अप्य यह न समझा चाहिए कि उस भूमि के साथमें में जिस पर लगभग आधिकारीक/आवासीय घटन मनवित रखी गई है किया जा रहा है, इससे किसी इकार या किसी स्थानीय नियम या इसलगे रखनीय अधिकारी या वामित अध्यवा फर्ग के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अवृत्त पड़ेगा अथात् यह अनुमति किसी के मेलिकत या राष्ट्रीय विभाग के दर्थकारों के विरुद्ध लोही ज्ञाय न रखेगी।

श्री विजय कुमार खरबन्दा दुर्ग रुठ मनोहर लाल खरबन्दा द्वारा गवन संख्या २१/३७ शिव चरा लाल रोड इलाहाबाद जौन संख्या १२) के अन्तर्गत वामित अधिकारीक/आवासीय भवन मनवित के काम में निम्नलिखित प्रतीकान्कों के अधीन प्रदान की जाती है :

१. उत्तर नगर नियोजन एवं नियमानुसार १९७३ की धारा १५ए (१) के प्रविधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण-८३ प्राप्त होने के पश्चात् ही उपचेत/अधिगोप किया जायेगा, १५न निर्माण एवं नियमानुसार उपचेति २००० में उपचेति संख्या-२.१८ एवं ३.१८ में नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण वर्त पूर्णता प्रमाण-५० प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनन्तीय (Provisional) स्वीकृति के रूप ने दी गई। निर्माण पूर्ण होने के उपसन्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तों पूरी करने के पश्चात् निर्माता किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-८३' प्राप्त करने के बाद ही इस प्रतिवर्त को वस्तविक रूपयोग में लाया जा सकेगा।
३. १० लं पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर प्रविकरण द्वारा स्वीकृता नानवित सम्बन्धी विवरण आंकेत करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के एर्म ला नाम भी आंकेत हो।
४. निर्माता किये जाने वाले भवन की संरचना सुलभ एवं गुणवत्ता की दायित रायग आवश्यक का होगा।
५. अवस्थापना अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में नगर आयोग, नगर नियम द्वारा मानवित की स्वीकृति के काम में कोई चिह्नित देयता/प्रतिक्रिया आंकेत किये जाते हैं तो उसलगे मुग्जान/अनुपालन आंकेत को करना आवश्यक होगा।
६. प्रत्युत नानवित रिपोर्ट पांकेन, प्रमाण-८५ द्वितीय तर्फ पर इ०८ तथा गृहीय ताल पर आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु है। तब उसार ही निर्माण किया जाय एवं नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-५० प्राप्त कर स्थल का लघिनीय/उपयोग किया जाय।
७. मानवीय व्यापालय गे कोई बाद तर्फे अध्यवा उत्पन्न होने की रिप्टिय में प्रदत्त स्वीकृते मानवीय व्यापालय के अधीन होगी। यह स्वीकृती भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सङ्केतन/प्रभेलरी द्वारा ही नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-५० प्राप्त कर स्थल का लघिनीय/उपयोग किया जाय।
८. नियमानुसार सम्य पर जारी शासनादेश य निधनों का जालन करन होगा तथा प्रविकरण यदि कोई शुल्क आंकेत करता है तो उसे जम को जम करना होगा।
९. यदि आवश्यक द्वारा कोई महत्वपूर्ण चूटना छिपायी गयी है उसका गलत सूचना दी गयी है तो उत्तर नगर नियोजन ८८ विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के अन्तर्गत नानवित नियमानुसार धारा १५ विकास प्राधिकरण द्वारा दी जायेगी।
१०. यह स्वीकृति पत्र केवल संचर्य की अवधि के लिए है।
११. नगर नियमानुसार से गवि नाली के सड़क की पट्टी अध्यवा संख्या ८० नाली के वित्ती भाग (जो मकान के आग भग, पृष्ठ भग अध्यवा उसके आकार के लागत दाफ नहीं हो) को छाने पड़ुये तो गृहस्थानी दैवार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अध्यवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिस्ट सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे आपने खर्च से परम्परा अध्यवा जिसके विकास प्राधिकरण को सत्तोष हो जाय, गे ५० देगा।
१२. गृह नियमानुसार के साथ इसका भी ध्यन रखना होगा कि मार्शीय विकास अधिनियम १९६६ (इंडियन इलोवेट्रीसेटी रूल्स १९६५) नियम ५२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण भी जानकारी में ऐसे समझे पाये जाये हैं वह ऐसे नियमानुसार को रोल अध्यवा हटवा सकता है।
१३. आवश्यक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नीव तक तथा उत तक वग जाने एवं उसके नीरे ही जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्ण देना होगा तथा उस अवनी का नाम भी देना होगा जिसके नियमानुसार मकान नियमित हुआ है।
१४. यदि नियमानुसार में नास्तर प्लान का उल्लंघन होता गया तो नियमानुसार को दी गई स्वीकृति रद समझे जायेगी और किया गया नियमानुसार अधिकृत बोधित कर एक अधिनियम को पारा २७ (१) के अन्तर्गत गवायवाही आरम्भ की जायेगी।

(पुष्टर श्रीवास्तव)
विरोध कार्यालयकारी

M. Vaidya

